भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या – 199**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में स्वतंत्र निदेशक**

**199. श्री देवेंदर गौड टी. :**

क्‍या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनी अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) में कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक का आदेश देता है;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 45 उपक्रमों में से 28 के बोर्ड में एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों में तत्काल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगेः-

1. सार्वनजिक क्षेत्र की कंपनियां जिनकी समादत्त (पेडअप) शेयरपूंजी दस करोड़ रूपए या अधिक है; या

(ii) सार्वनजिक क्षेत्र की कंपनियां जिनका कारोबार एक सौ करोड़ रुपए या अधिक है; या

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिनके बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाराशि कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपए से अधिक हैं।

**(ख) से (घ):** चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का मामला लोक उद्यम विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः इस मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियां मांगी है। लोक उद्यम विभाग से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार हैः

(i) स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा करना और उसे लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इन प्रस्तावों पर लोक उद्यम विभाग में कार्रवाई की जाती है और इन्हें सर्च समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् सर्च कमेटी की सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजी जाती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डो में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद की जाती है।

(ii) गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है। गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है और ये रिक्त पद प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सर्च कमेटी के विचार करने के बाद भरे जाते हैं और गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः-

1. गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।
2. लोक उद्यम विभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध नियमित रूप से कर रहा है।
3. हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (जिनमें सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम शामिल) के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों के लगभग 150 पदों को भरने के लिए सर्च कमेटी ने सिफारिश की है। इन सिफारिशों के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों के लगभग 90 पद पहले ही भर लिए गए हैं।

\*\*\*\*\*